ग्राम पंचायत लोहारा, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला कांगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016

भाग—एक

1 **(क) प्रस्तावनाः—**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत लोहारा, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थेः—

प्रधानः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री नरजीव सिंह	1.4.13 से 22.1.16
2	श्रीमती नवीन कुमारी	23.1.16 31.3.16

सचिवः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री राम सिंह	01.04.13 से 31.3.16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः— ग्राम पंचायत लोहारा के लेखाओं अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का सार	राशि (लाखों में)
1	5	पंचायत राजस्व की शेष वसूली	0.30
2	11	खाता "ख" में अर्जित ब्याज का खाता "क" में अन्तरित न किया जाना	0.51
3	12	अनुदान का उपयोग न करना	8.76
4	13	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक / स्टोर का क्रय करना	4.79

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत लोहारा, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री तरबीज कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 3.2.17 से 13.2.17 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 11/13, 9/14 व 10/15 तथा 3/14, 4/14 व 11/15 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत लोहारा, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 234 दिनांक 13.2.17 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत लोहारा से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत लोहारा द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत की अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति **परिशिष्ट (1)** के अनुसार निम्न प्रकार थीः–

(1) स्वः स्त्रोतः– ग्राम पंचायत लोहारा के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 तक स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरणः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	179530	450390.50	629920.50	272373	357547.50
2014–15	357547.50	442586.00	800133.50	259250	540883.50
2015–16	540883.50	411126.00	952009.50	706585	245424.50

(2) अनुदानः– ग्राम पंचायत लोहारा के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में दिया गया हैः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	247323	650708	898031	594907	303124
2014–15	303124	557100	860224	367002	493222
2015–16	493222	1481351	1974573	1097732	876841

दिनांक 31.3.2016 को स्वःस्त्रोत व अनुदान राशि का कुल योग (1+2) ₹112265.50

दिनांक 31.3.2016 को बैंक में जमा राशि का विवरणः–

क्रमांक	निधि	बैंक का नाम	खाता सं0	राशि
1	Sabha Fund	KCC Fatehpur	20028012631	245424.50
2	VHNS	KCC Fatehpur	50051106674	2492.00
3	13th, Fin.	-do-	50052203441	40401
4	SDP	-do-	5002203452	8929
5	GRDY	-do-	50052203305	2104
6	MPLAD	-do-	50052203292	12136
7	TSC	-do-	50052203463	53176
8	14th FC	-do-	50063013152	603484
	RAY	-do-	20028012971	154119
	AAY	-do-	50052203349	Nil
	MNREGA	-do-	20028013135	Nil
			योग	₹1122265.50

अन्तशेष का विवरणः–

(क) दिनांक 31.3.16 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष 1122265.50

(ख) दिनांक 31.3.16 को बैंक में कुल जमा राशि 1122265.50

5 पंचायत राजस्व ₹0.30 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.2016 तक पंचायत के राजस्व ₹29875 की वसूली शेष थी।

(1) गृहकरः–

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	17840	14000	31840	31840	0
2014–15	0	14000	14000	0	14000
2015–16	14000	14250	28250	0	28250
(2)भू राजस्व					
2013–14	0	1625	1625	1625	0
2014–15	0	660	660	660	0
2015–16	0	1625	1625	0	1625

नाटः– वर्ष 2014–15 में सूखा ग्रस्ती के कारण सरकार द्वारा भू–राजस्व कम किया गया।

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

6 गृहकर के रूप में वसूली ₹50 को कम जमा करने बारेः–

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि रसीद संख्या 526965 से 52700 प्रत्येक ₹50 की दर से कुल ₹1800 प्राप्त किये गये व रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 36 दिनांक 23.7.13 को यह राशि ₹1750 दर्ज कर ₹50 कम जमा करवाई गई थी। अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर सचिव द्वारा उक्त कम जमा राशि को रसीद संख्या 0034243 दिनांक 8.2.17 के द्वारा जमा करवा दिया गया है। भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि पर अंकुश लगाया जाये।

7 सभा निधि से ₹195 के अधिक भुगतान बारेः–

अंकेक्षण के दौरान अभिलेख की जाँच में पाया गया कि सभा निधि से वाउचर संख्या 23 दिनांक 11.11.2015 के द्वारा श्री गोविन्द राम को रेत, बजरी आदि की आपूर्ति का ₹22345 का भुगतान किया गया जबकि आपूर्ति सामग्री का भुगतान ₹22150 बनता है जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः–

शटरिंग 74.37m2x80	5950
बजरी 4m3x850	3400
पत्थर 11m3x800	8800
सीमेन्ट ढुलवाई	4000
योग	**₹22150**

अतः उपरोक्त अधिक भुगतान ₹195 की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8 रोकड़ बही का निर्माण नियमानुसार तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई बजट संहिता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जाऐगें और आय के लिए पृथक खाता खोला जाएगा। यह खाता पंचायत निधि खाता–क के रूप में जाना जायेगा। इसी तरह नियम–3 में संहिता संख्या 51 से 99 में वर्णित प्राप्त सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिए आबंटित निधियां और ऋण मानी जाएगी। इस आय के लिए पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता–ख जाना जायेगा परन्तु जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में ग्राम पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत की व अनुदानों के लिए तीन रोकड़ बहियाँ व बैंक खाते खोले गए थे जोकि अनियमित है। अतः नियमानुसार रोकड़ बही का रख रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में

पंचायत निधि खाता–क व ख के अनुरूप रोकड़ बही का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

9 वर्गीकृत सार रजिस्टर को तैयार न करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार एक भाग आय के लिए तथा दूसरा भाग व्यय के लिए तैयार किया जाना अपेक्षित है। जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जायेगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति को तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार को तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 कर माँग व प्राप्ति रजिस्टर उपलब्ध न करवाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान जाँच में स्व स्त्रोत, जैसे कि गृहकर, भू राजस्व इत्यादि से प्राप्त आय से सम्बन्धित माँग व एकत्रीकरण रजिस्टर अंकेक्षण में आवश्यक जाँच में उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसके अभाव में करों की कुल वसूली की सत्यता व शेष वसूली की जाँच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः पंचायत से सम्बन्धित उक्त अभिलेख को प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त अभिलेख को तैयार करके कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 खाता "ख" में अर्जित ब्याज ₹0.51 लाख को खाता "क" में अन्तरित न किया जानाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी व जुलाई में पंचायत द्वारा खाता "ख" में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयं संसाधनों के खाता "क" में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु बैंक खातों की जाँच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। निम्नविवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान खाता "ख" से सम्बन्धित बचत खातों में अर्जित ब्याज को उपरोक्त नियम की अनुपालना में खाता "क" में अन्तरित नहीं किया गया। इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को तुरन्त खाता "ख" के समस्त बैंक खातों से निकाल कर खाता

"क" में अन्तरित करते हुए भविष्य में भी नियमानुसार समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

खाता संख्या	वर्ष 2013–14	2014–15	2015–16	कुल ब्याज (₹)
50051106674	1243	788	97	2128
50052203441	–	–	1146	1146
50052203452	2408	4137	2126	8671
50052203305	–	–	304	304
50052203292	1172	1103	829	3104
50052203463	–	2995	7481	10476
50063013152	–	–	–	–
20028012971	7996	5752	6001	19749
50052203349	1261	485	37	1783
20028013135	3700	138	–	3838
जोड़	**17780**	**15398**	**18021**	**51199**

12 अनुदान ₹8.77 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–1)** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹876841 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंन्चित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

13 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹4.79 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताऐं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–2** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹479110 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी

की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 नियमों के विरूद्ध ग्यारह बैंक खातों का खोला जानाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले का प्रावधान है जिसमें से खाता "क" में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है परन्तु पंचायत द्वारा दो के स्थान पर पैरा 4 के अनुसार ग्यारह बैंक बचत खाते खोले गए है। अतः नियमों के विरूद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन नौ अतिरिक्त खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

15 सहभागी समिति गठित किए बिना ₹7.80 लाख के कार्य निष्पादन बारेः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 के अनुसार प्रत्येक कार्य के निष्पादन के लिए पृथक सहभागी समिति गठित की जाएगी। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित निम्न मामलों की जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट—3** में दिए गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹78000 का व्यय बिना सहभागी समिति के गठन के किया गया। अतः नियमों के विरूद्ध निर्माण कार्यों का निष्पादन बिना सहभागी समिति के गठन के कारण स्पष्ट किए जाएं तथा भविष्य में प्रत्येक कार्य के निष्पादन के लिए सहभागी समिति गठित करनी सुनिश्चित की जाए।

16 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	31	95 (1)
4	मासिक समाधान विवरणी	15	—
5	विभिन्न अनुदानों के लेजर	7	29 (1)
6	खाते मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)

7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1)

17 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18 लघु आपत्ति विवरणिकाः– यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

19 निष्कर्षः– लेखों के रख रखाव में उचित सुधार एवं कड़ें निरीक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता / –
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 89 / 2017–खण्ड–1–2298–2301 दिनाँकः 20.04.2017
शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत लोहारा, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड फतेहपुर, तहसील फतेहपुर, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता / –
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881

ग्राम पंचायत लोहारा, विकास खण्ड फतेहपुर (कांगड़ा) द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना **(परिशिष्ट–2)**

(पैरा–13 के सन्दर्भ में)

क्रमांक	वा0सं0/दिनांक	निधि	विवरण	राशि
1	23/11.11.15	सभा निधि	श्री गोबिन्द राम द्वारा रेत बजरी आदि की आपूर्ति का भुगतान	22345
2	24/11.11.15	सभा निधि	श्री मोहिन्द्र द्वारा रेत, बजरी आदि की आपूर्ति का भुगतान	11378
3	25/11.11.15	सभा निधि	–यथोपरि–	21531
4	26/11.11.15	सभा निधि	–यथोपरि–	64350
5	27/11.11.15	सभा निधि	श्री गोबिन्द राम द्वारा रेत, बजरी आदि की आपूर्ति	25000
6	28/11.11.15	सभा निधि	मै0 अशोक पांजला टाईलज द्वारा टाईलों की आपूर्ति का भुगतान	81479
7	26/8.2.14	मनरेगा	श्री गोबिन्द राम द्वारा शटरिंग व पानी की टंकी के किराये का भुगतान	16480
8	28/8.2.14	मनरेगा	–यथोपरि–	12024
9	29/8.2.14	मनरेगा	–यथोपरि–	23024
10	7/4.11.15	मनरेगा	श्री गोबिन्द राम द्वारा रेत, बजरी आदि की आपूर्ति का भुगतान	28612
11	8/4.11.15	मनरेगा	श्री करनैल सिंह द्वारा रेत, बजरी आदि की आपूर्ति का भुगतान	36046
12	1/26.10.15	GRDYA	मैसर्ज शिवा ब्रिक्स मैनुफैक्चरिंग द्वारा ईटों की आपूर्ति का भुगतान	110040
13	3/11.12.15	–यथोपरि–	श्री गोबिनद राम द्वारा रेत, बजरी आदि की आपूर्ति का भुगतान	26800
			योग	**₹479110**

ग्राम पंचायत लोहारा, विकास खण्ड फतेहपुर (कांगड़ा) द्वारा सहभागी समिति गठित किए बिना कार्य निष्पादन

(परिशिष्ट–3)

(पैरा–15 के सन्दर्भ में)

क्रमांक	निधि	कार्य का नाम	राशि
1	GRDYA	निर्माण ईटों वाला रास्ता गांव धोली	200000
2	मनरेगा	निर्माण डंगा भूमि कटाव रोकने के लिए मदन लाल बगैटा की जमीन में	150000
3	सभा निधि	निर्माण गली गांव धोली	130000
4	SDP	निर्माण रास्ता काज व आवासी सनौरियां से मेन राड तक	150000
5	मनरेगा	निर्माण डंगा भूमि कटाव रोकने के लिए माठु राम की जमीन में	150000
		योग	**₹780000**